

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी0 एल0 ए0 नालंदा

पटना, दिनांक-09-12-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-सिलाव परगना-तेलहाड़ा, थाना नं0-420 थाना-बिहार, जिला-नालंदा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नूरसराय से सिलाव पथ भाया बेगमपुर कि0मी0 0 से 21.85 कि0मी0 तक पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-सिलाव, थाना नं0-420 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 10.455 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं0- 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 214, 215, 218, 223, 225, 226, 230, 231, 382, 384, 386, 537, 538, 540, 2758, 2759, 2765, 2768, 2771, 2772, 2773, 2776, 2777, 2781, 2782, 2787, 2788, 2789, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2810, 2811, 2812, 2813, 2830, 2832, 2833, 2834, 2844, 2845, 2906, 2907, 2908, 2910, 2911, 2912, 2925, 2927, 2928, 2929, 2933, 2934, 2935, 2960, 2972, 2974, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2986, 2987, 2991, 2992, 2994 एवं 2995 सभी अंश तथा खेसरा सं0-188, 224, 227, 228, 229, 383, 2769 एवं 2973 सभी पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- सीवाना मौजा-गोरावाँ थाना नं0-406

पूरब :- खेसरा सं0- 197, 193, 192, 191, 187, 185, 184, 230, 231, 226, 225, 382, 384, 538, 540, 2991, 2994, 2995, 2987, 2986, 2980, 2978, 2977, 2976, 2974, 2906, 2912, 2911, 2925, 2927, 2845, 2844, 2934, 2803, 2802, 2801, 2800, 2799, 2788, 2787, 2782, 2781, 2777, 2776, 2771, 2768, 2765, 2759 एवं 2758 सभी अंश।

दक्षिण :- सीवाना मौजा-सीमा थाना नं0-469

पश्चिम :- खेसरा सं0- 195, 196, 190, 185, 214, 215, 218, 222, 221, 537, 2992, 2995, 2987, 2986, 2979, 2978, 2977, 2976, 2972, 2906, 2907, 2908, 2910, 2929, 2928, 2933, 2934, 2935, 2830, 2832, 2813, 2812, 2811, 2810, 2804, 2803, 2802, 2801, 2800, 2799, 2789, 2787, 2782, 2781, 2777, 2776, 2772, 2773, 2765 एवं 2759 सभी अंश तथा खेसरा सं0-221 पूर्ण।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालंदा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालंदा

11/09/13
समाहर्ता,
नालंदा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव


ज्ञापांक:-15/डी0 एल0 ए0-नालंदा (नूरसराय-सिलाव पथ)-25/2013.....- 2846...../रा0

ज्ञापांक..... डी0 एल0 ए0-नालंदा, दिनांक 09-12-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. **प्रतिलिपि :-** उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. **प्रतिलिपि :-**अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के ~~उप~~ सचिव